भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-195

उत्तर देने की तारीख-03/2/2025

फर्जी विश्वविद्यालय

†195. **श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है और उन्हें कोई डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जिनमें से अधिकांश दिल्ली में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश न लेने की चेतावनी दी है और उनमें से कम से कम 21 स्वघोषित, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन करके कार्य कर रहे हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिन्हें फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है;
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा फर्जी विश्वविद्यालयों को रोकने के उद्देश्य से उन्हें दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और 2014 से अब तक राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है/कितना जुर्माना लगाया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fakeuniversity पर उपलब्ध है। वर्तमान में 21 संस्थान इस सूची में शामिल हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का विषय है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करें तथा स्वयं को "विश्वविद्यालय" के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके, डिग्री प्रदान करने तथा अपने नाम

के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग करके छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। यह भी अनुरोध किया गया कि यदि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य फर्जी विश्वविद्यालय कार्यात्मक हैं और वे यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं हैं, तो इसकी सूचना केन्द्र सरकार/यूजीसी को दी जाए।

आम जनता, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को सावधान करने के लिए सोशल मीडिया और यूजीसी वेबसाइट के माध्यम से सामान्य जागरूकता हेतु सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अतिरिक्त, यूजीसी/सरकार द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. सरकार के साथ-साथ यूजीसी ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं को □विश्वविद्यालय□ के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने, डिग्री प्रदान करने और अपने नाम के साथ □विश्वविद्यालय□ शब्द का उपयोग करके छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
ii. कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं।
iii. अवैध डिग्री प्रदान करने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।

परिणामस्वरूप, वर्ष 2014 से 12 फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया।

*****